महत्वपूर्ण

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2026

विषयः प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/ अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदया,

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक/ अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उक्त कार्मिकों के आश्रितों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई0पी0डी0 (अंतर्रोगी विभाग) में उपचार हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधान प्रदान किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(1) बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपर्युक्त शिक्षकों / कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराये जाने में प्रति कार्मिक रू0 3000/- वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है, जिसमें पात्र एवं कार्यरत शिक्षकों एवं कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा ।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त कैशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन State Agency For Comprehensive health and integrated services (साचीज) के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही

होगी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेगी।

(4) उपर्युक्तानुसार कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित) में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक (CWSN), अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्ण कालिक / अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोईया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।

(5) उक्त लाभार्थियों एवं उनके परिवारों का पूर्ण विवरण / डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिये जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जा सके।

(6) चूंकि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई प्राधिकृत ऑकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं होता है। अतएव योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के चिन्हांकन के लिए पृथक से कार्यकारी आदेश निर्गत किया जायेगा ।

(7) उपर्युक्त लोगों में से, जो लोग पूर्व से ही केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (यथा-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना / मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 09-02-2026 17:32:17
(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

<u>प्रतिलिपि:</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन ।

2. अपर मुख्य सचिव, वित्त / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।

3. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।

4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत, स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज), लखनऊ।

6. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ।

7. निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र० लखनऊ।

8. निदेशक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, उ०प्र० लखनऊ।

9. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।

10. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(सूर्यनाथ उपाध्याय)

अनु सचिव।